न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नाई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 176/2018
आर.सी.एम.एस. :: 2018/00214

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर		कुनाराम पुत्र ओटाराम (फौत) के का.मु. 1. मोहनलाल पुत्र कुनाराम 2. माणकचंद पुत्र कुनाराम, जातिगण सीरवी, निवासीगण रामपुरा कलां, तहसील रायपुर जिला पाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक : 23/7/2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थीगण के पिता कुनाराम के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम रामपुरा कलां, पटवार हल्का रामपुरा कलां तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 415 किस्म गै.मु. बाली रकबा 4.15 बीघा किस्म चा.दो के नियम विरूद्ध किए गए नियमन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रामपुरा कलां, पटवार हल्का रामपुरा कलां तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 415 किस्म गै.मु. बाली रकबा 4.15 बीघा किस्म चा.दो के नियम विरूद्ध किए गए नियमन किया जो वक्त नियमन गै.मु. बाली दर्ज थी। जिसका नियमन आदेश 72 दिनांक 23.05.1974 के द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. बाली से चा.दो. कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त आवंटन आदेश द्वारा किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 277 दिनांक 24.12.1974 एंव इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 756 दिनांक 20.09.2003 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रामपुरा कलां, पटवार हल्का रामपुरा कलां तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 415 किस्म गै.मु. बाली रकबा 4.15 बीघा किस्म चा.दो के नियम विरूद्ध किए गए नियमन किया

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जो वक्त नियमन गै.मु. बाली दर्ज थी। जिसका अप्रार्थीगण के पिता कुनाराम के नाम नियमन आदेश 72 दिनांक 23.05.1974 के द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. बाली से चा.दो. कर किया गया है एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 277 दिनांक 24.12.1974 स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा कुनाराम पुत्र ओटाराम को खातेदार दर्ज किया गया था तथा कालान्तर में उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वारिशान के नाम नामान्तरण संख्या 756 दिनांक 20.09.2003 सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा कलां द्वारा स्वीकृत किया गया। वक्त नियमन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन बाली दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थीगण के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से नियमन ओदश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 277 दिनांक 24.12.1974 एंव इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 756 दिनांक 20.09.2003 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के पिता कुनाराम पुत्र ओटाराम निवासी रामपुरा कलां तहसील रायपुर जिला पाली (राज.) के पक्ष में नियमन आदेश 72 दिनांक 23.05.1974 एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 277 दिनांक 24. 12.1974 एंव इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 756 दिनांक 20.09.2003 को निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(भागीरथ बिश्नाई)
अति.जिला कलेक्टर, पाली